

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017 — फाल्गुन 30, शक 1938

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-36/2016/वाक.(पं.)/पांच (25). — भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की “इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2014-19” (Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19) के क्रमांक-5 में यथापरिभाषित सूचना प्रौद्योगिकी इकाई (IT Unit) की स्थापना हेतु, भूमि के क्रय अथवा पट्टे पर आबंटित भूमि की लिखतों पर, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है। तथा यह भी कि, नीति अवधि के दौरान 31-10-2019 तक ऐसी छूट प्राप्त इकाई के अन्य आईटी इकाई में प्रथम बार हस्तांतरण हेतु निष्पादित विक्रय अथवा पट्टे संबंधी विलेख पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु —

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए परिभाषारं वही होंगी जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य की “इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2014-19” के क्रमांक-5 में परिभाषित है।
2. यह अधिसूचना, छत्तीसगढ़ राज्य की “इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2014-19” के प्रभावशीलता अवधि, दिनांक 01-11-2014 से 31-10-2019 तक प्रभावशील होगी।
3. स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र अनुसार जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा। ऐसा प्रमाण पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय/पट्टा विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा।

4. छत्तीसगढ़ राज्य की “इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2014-19” में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में स्टाम्प शुल्क से दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जाएगी तथा दी गई छूट की राशि की वसूली बकाया भू-राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी।
5. ऐसे विलेखों जिनमें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)

क्रमांक

दिनांक

(स्टाम्प शुल्क से छूट का प्रमाण पत्र)

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्र.
दिनांक के अंतर्गत]

(1) प्रमाणित किया जाता है कि इकाई मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस निवेश नीति छत्तीसगढ़ 2014-19 के सरल क्रमांक-5 में यथा परिभाषित एक नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी या आईटी समर्थित सेवा आधारित उद्योग है, जिसके पक्ष में उद्योग आधार ज्ञापन (UAM)/उत्पादन प्रमाण पत्र सं.....दिनांक जारी किया गया है। I.E.M. (विनिर्माण ज्ञापन पावती) भाग ख/आशय पत्र/लाइसेंस संख्या दिनांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (उद्योग का समर्थन संचिवालय), भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। समझौता ज्ञापन दिनांकित छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बॉयोटेक प्रमोशन सोसायटी/वाणिज्य और उद्योग विभाग के साथ निष्पादित किया गया है।

(2) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इकाई, "इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और आईटीईएस निवेश नीति छत्तीसगढ़ 2014-19" के सरल क्रमांक-5 की कंडिका में उल्लेखित दिनांक (इकाई) है, जो कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अन्तर्गत, स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए पात्र है।

अथवा

यह प्रमाणित किया जाता है कि इकाई मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस निवेश नीति छत्तीसगढ़ 2014-19 के प्रावधानानुसार छूट प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक से छूट प्राप्त मौजूदा इकाई है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी या आईटी समर्थित सेवा आधारित आईटी इकाई मेसर्स के पक्ष में क्य अथवा पट्टे के द्वारा प्रथम एवं अंतिम बार हस्तांतरण किया जा रहा है, जो कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अन्तर्गत, स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए पात्र है।

(3) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित इकाई को स्टाम्प शुल्क से छूट निम्नानुसार भूमि के क्रय/पट्टे की लिखत पर प्राप्त होगी :-

स. क्र.	जिला का नाम	तहसील का नाम	प.ह.न./वार्ड नं. आदि	ग्राम /क्षेत्र का नाम आदि	खसरा नं. /प्लाट नं. /शीट नं.	रकबा

(4) स्टाम्प शुल्क से छूट का प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाता है :-

- 4.1 स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त भूमि का पूर्ण उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिस हेतु छूट का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- 4.2 सूचना प्रौद्योगिकी इकाई को इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस निवेश नीति छत्तीसगढ़ 2014-19 में प्रावधानित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 4.3 उक्त नीति के अन्तर्गत दिये जा रहे प्रोत्साहनों का लाभ की पात्रता ऐसे नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा की इकाईयों को रहेगी जो 1-नवंबर, 2014 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारंभ किया है।

- 4.4 उद्योग/इकाई को शासन/स्थानीय निकायों के नियमों का पूर्ण पालन करना होगा।
- 4.5 उद्योग/इकाई को भू-आधिपत्य प्राप्त होने के दिनांक से 02 वर्ष के भीतर इकाई को उत्पादन/संचालन प्रारंभ करना होगा अन्यथा स्टाम्प शुल्क से दी गई छूट निष्प्रभावी होकर प्रमाणपत्र की कंडिका 4.7 के अनुसार वसूलनीय होगी।
- 4.6 इकाई के द्वारा प्रमाण-पत्र हेतु दिये गये आवेदन में कोई तथ्य/जानकारी गलत पाये जाने पर छूट का प्रमाण पत्र निरस्त किया जायेगा।
- 4.7 उपरोक्त शर्तों अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस निवेश नीति छत्तीसगढ़ 2014-19 के शर्तों की पूर्ति न किये जाने पर स्टाम्प शुल्क से छूट के समतुल्य राशि तथा छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े-बारह प्रतिशत की साधारण व्याज दर सहित वसूलनीय होकर निवेशक द्वारा भुगतान किया जाएगा। और उसका भुगतान न किये जाने पर छूट की राशि भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूलनीय होगी।
- 4.8 यह प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- 4.9 स्टाम्प शुल्क से छूट प्रमाण पत्र के दुरुपयोग/उक्त नियम एंव शर्तों के गैर-अनुपालन के मामले में छूट प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

(जारीकर्ता सक्षम अधिकारी,
पदनाम एवं पदमुद्रा सहित)

नया रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

क्रमांक एफ 10-36/2016/वाक.(पं.)/पांच (25). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-36/2016/वाक.(पं.)/पांच(25), दिनांक 20-03-2017 का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 20th March 2017

NOTIFICATION

No. F 10-36 /2016/CT(R)/V (25).— In exercise of the powers conferred by clause(a) of sub-section (1) of section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby remits stamp duty chargeable on instruments of Sale or Lease of land allotted for the establishment of IT Units as defined at serial no 5 of "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19".
Further one time exemption of stamp duty is also granted on instruments of transfer of such unit to another IT Unit by way of sale or lease during the policy period till 31 October 2019.

Explanation - for the purpose of this notification :

1. Definition for the purpose of this notification shall be the same as defined at serial no. 5 of "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19".
2. This notification shall be effective, during the effective period of "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19", from 01-11-2014 to 31-10-2019.
3. A certificate as enclosed in form-1, for grant of exemption in stamp duty issued by the Chief Executive Officer of Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) or an officer authorised by notification shall be accepted. Such certificate will be enclosed in original with the office copy of the document presented for registration and shall form a part of the record.
4. Exemption in stamp duty so granted shall become ineffective immediately for breach of the condition mentioned in "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19" and the stamp duty so exempted shall be recovered by the Collector with the assistance of the Department of Electronics and Information Technology, as arrears of land revenue, alongwith an interest, at the rate of 12.5% per annum from the date of such exemption.
5. Such instruments, wherein stamp duty has been paid prior to the date of publication of this notification in the Gazette, shall not be eligible for exemption from stamp duty.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS)

No.

Date :

Certificate for the exemption of Stamp Duty

[As per provisions Commercial Tax (Registration) Department
Notification No. dated]

(1) This is to certify that the unit M/s is an industry as defined at serial no 5 of "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19". In whose favor the Udyog Aadhar Memorandum (UAM) has been issued vide memo no. dated / I.E.M. (Manufacturing memorandum acknowledgment) Part B / letter of intent/ License number dated has been issued by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Industry Support Secretariat). MoUs dated has been executed with the Chhattisgarh Infotech Promotion Society / Department of Commerce and Industries.

(2) It is also certified that as mentioned at item no of serial no 5 of "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19" the unit is eligible for exemption in stamp duty as per Commercial Tax (Registration) Department Notification No. dated

OR

It is certified that the existing unit M/s. has been exempted from stamp duty vide certificate no. dated as per the provisions of "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19" which is being transferred in favour of Electronics, IT and ITeS unit M/s. by way of sale or lease for the first and last time is entitled for exemption in stamp duty as per Commercial Tax (Registration) Department Notification No. dated

(3) It is also certified that the unit shall be granted exemption in stamp duty in instrument of sale or lease for the following land :-

Sr.No.	Name of District	Name of Tehsil	Patwari Halka/ Ward No. etc.	Village/ Name of Area etc.	Khasra number /Plot No. / Sheet No.	Area

(4) The certificate for exemption in stamp duty is issued under the following terms and conditions :-

- 4.1 The land which has been exempted from stamp duty shall be utilised for the purpose for which the exemption certificate is issued.
- 4.2 All the terms and conditions as provided in "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19" shall be compulsorily compiled with by the IT unit.
- 4.3 Only those new units that have commenced the commercial production/ operation after 1st November, 2014 shall be entitled for exemption under incentives granted as per the "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19".
- 4.4 The Industry /Unit shall follow the rules of Government/ Local bodies.

- 4.5 The Industry/Unit shall commence production/operation within a period of 2 years from the date of possession of land or else the exemption in stamp duty shall become ineffective and be liable to payment as per Para 4.7 of the certificate.
- 4.6 The certificate for exemption in stamp duty shall be liable to be cancelled in case the facts/information in the application are found false.
- 4.7 In case of non-compliance of the above terms and conditions an amount equal to the exemption in stamp duty alongwith simple interest @12.50% per annum from the date of exemption in stamp duty shall be payable by the unit/investor and on non-payment of the same the amount shall be recoverable as arrears of land-revenue.
- 4.8 This certificate shall be valid for a period of one year from the date of issue.
- 4.9 In case of misuse of the stamp duty exemption certificate/non-compliance of the above terms and conditions the exemption certificate shall be cancelled with immediate effect.

Signature
(seal and sign of competent authority)